उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-84/2020/159प्र0स0/92-2-20-86एम/2019

लखनऊ :: दिनांक:: 09 जुलाई 2020

कार्यालय-ज्ञाप

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ द्वारा दिनांक 11-11-2019 को प्रखण्ड/पीआईयू-उन्नाव के निरीक्षण में कार्यालय की गतिविधियों एवं अधिकारियों/अभियंताओं की अनुपस्थिति के दृष्टिगत अधिशासी अभियंता का अपने अधीनस्थों पर शिथिल नियंत्रण तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति विफल होना पाया गया। साथ ही त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य की प्रगति अत्यन्त धीमी पाया जाना आदि अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-194/2019/ 2810/92-2-19-86एम/2019 दि0 09-12-2019 द्वारा श्री वीरपाल राजपूत, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड/पीआईयू0-उन्नाव के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रा0अ0विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी/ मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-145/ ग्रा0अ0वि0/ अनु0जाच-उन्नाव/19-20 दि0 11-06-2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप स्थापित होना नही पाया गया है।

2- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप स्थापितन पाये जाने के दृष्टिगत श्री वीरपाल राजपूत, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-उन्नाव के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 09-12-2019 से प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी

प्रमुख सचिव।

संख्या-84/2020/159प्र0स0(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री वीरपाल राजपूत, तत्का0 अधि0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड/पीआईयू-उन्नाव द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in